

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जसवंतपुरा (जिला-जालोर)
पीठासीन अधिकारी - श्रीमति पुष्पाकंवर सिसोदिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या - 36/2014

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ईश्वरसिंह पुत्र पहाडसिंह 2. चंदनसिंह पुत्र पहाडसिंह जातियान राजपुत निवासी झाक तहसील भीनमाल जिला जालोर		1. छैलसिंह पुत्र धुकसिंह उर्फ धुकलसिंह 2. विजयसिंह पुत्र धुकसिंह उर्फ धुकलसिंह 3. पदमसिंह पुत्र दलपतसिंह 4. अर्जुनसिंह पुत्र दलपतसिंह 5. खेतसिंह पुत्र मदनसिंह 6. जामतसिंह पुत्र मदनसिंह 7. पूरमसिंह पुत्र मदन सिंह 8. भाटकंवर बेवा मदनसिंह 9. अर्जुनसिंह पुत्र हुकमसिंह 10. जबरसिंह पुत्र धुमलसिंह 11. चंदनसिंह पुत्र धुमलसिंह 12. जालमसिंह पुत्र धुमलसिंह 13. वरदसिंह पुत्र फतेहसिंह 14. छैलसिंह पुत्र बलवंतसिंह 15. नारायणसिंह पुत्र बलवंतसिंह 16. नरपतसिंह पुत्र बलवंतसिंह 17. केशरसिंह पुत्र सरदारसिंह जातियान राजपुत साकिनान झाक तहसील भीनमाल जिला जालोर 18. व्यवस्थापक मारवाड ग्रामीण बैंक शाखा रामसीन 19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार भीनमाल भूमिधारी तहसील भीनमाल जिला जालोर

दावा बाबत बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम


निर्णय

दिनांक : 6/2/2020

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 4.7.2016 को सरहद मौजा पुनककला के वादग्रस्त आराजी ख.न. 623 कुल रकबा 0.73 है0, ख.न. 625 रकबा 1.51 है0, ख.न. 626 रकबा 0.16 है0, ख.न. 627 रकबा 0.87 है0, ख.न. 628 रकबा 0.81 है0, ख.न. 629 रकबा 0.01 है0, ख.न. 630 रकबा 0.32 है0 जुमले रकबा 4.41 है0 किस्म जाव दोयम व गैर मुमकिन बेरा व सडा का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर विभाजन के प्रस्ताव विभिन्न रंगों में दर्शाते हुए लगान आदि निश्चित कर प्रस्तुत किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री सादिर की जाने पर तहसीलदार जसवंतपुरा की ओर से दिनांक 24.7.2018 को निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव पेश किये गये-

1. ईश्वरसिंह चन्दनसिंह पि0 पहाडसिंह कौम झाक के बंट में निम्न प्रकार खसरा नंबर भूमि रहेगी-

क्र.स.	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	623	0.12	चा0दो 0.05 जा0दो 0.07	1.50 0.70
2.	625	0.25	चा0दो 0.14 जा0दो 0.11	4.20 1.10
	626	0.03	चा0दो 0.01	0.30



सहायक कलेक्टर
जसवंतपुरा (जालोर)

			जा0दो0 0.02	0.20
4.	627	0.14	चा0दो 0.07 जा0दो0 0.07	2.10 0.70
5.	628	0.14	चा0दो 0.07 जा0दो0 0.07	2.10 0.70
6.	630	0.05	गै0मू0 सडा	—
	कुल खसरे-6	0.73	—	13.60

2. प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का प्राथमिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	623	0.61	चा0दो 0.24 जा0दो0 0.37	7.20 3.70
2.	625	1.26	चा0दो 0.69 जा0दो0 0.57	20.70 5.70
3.	626	0.13	चा0दो 0.06 जा0दो0 0.07	1.80 0.70
4.	627	0.73	चा0दो 0.37 जा0दो0 0.36	11.60 3.60
5.	628	0.67	चा0दो 0.34 जा0दो0 0.33	10.20 3.30
6.	630	0.27	गै0मू0 सडा	—
	कुल खसरे-6	3.67	—	68.00

खसरा नं. 629 रकबा 0.01 है0 गै0मू0 बेरा वादीगण एवं प्रतिवादीगण का शामिल यथावत रहेगा।

इस प्रकार तहसीलदार जसवंतपुरा की ओर से विभाजन के प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री प्राप्त हुए, जिस पर किसी भी पक्षकारान अथवा अधिवक्ता द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप में किसी प्रकार की कोई उजर, आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में तहसीलदार जसवंतपुरा की ओर से प्राप्त विभाजन के प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री सादिर किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होती है।

1. ईश्वरसिंह चन्दनसिंह पि0 पहाडसिंह कौम झाक के बंट में निम्न प्रकार खसरा नंबर भूमि रहेगी-

क्र.स.	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	623	0.12	चा0दो 0.05 जा0दो0 0.07	1.50 0.70



सहायक वकील

2.	625	0.25	चा०दो 0.14 जा०दो 0.11	4.20 1.10
3.	626	0.03	चा०दो 0.01 जा०दो 0.02	0.30 0.20
4.	627	0.14	चा०दो 0.07 जा०दो 0.07	2.10 0.70
5.	628	0.14	चा०दो 0.07 जा०दो 0.07	2.10 0.70
6.	630	0.05	गै०मू० सडा	—
	कुल खसरे-6	0.73		13.60

2. प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का प्राथमिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
1.	623	0.61	चा०दो 0.24 जा०दो 0.37	7.20 3.70
2.	625	1.26	चा०दो 0.69 जा०दो 0.57	20.70 5.70
3.	626	0.13	चा०दो 0.06 जा०दो 0.07	1.80 0.70
4.	627	0.73	चा०दो 0.37 जा०दो 0.36	11.60 3.60
5.	628	0.67	चा०दो 0.34 जा०दो 0.33	10.20 3.30
6.	630	0.27	गै०मू० सडा	—
	कुल खसरे-6	3.67	—	68.00

खसरा नं. 629 रकबा 0.01 है० गै०मू० बेरा वादीगण एवं प्रतिवादीगण का शामिलती यथावत रहेगा।

एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है कि पक्षकारान उपरोक्तानुसार अपने बंट में आयीं आराजी के एक-दूसरे के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें एवं न ही किसी से करावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार जसवंतपुरा का भेजी जावें। डिक्री चरचा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/2/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(पुष्पा कवर्षा सिंसोदियार)
सहायक कलक्टर, जसवंतपुरा
जसवंतपुरा (जालार)